रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 439] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 2, 2019/अग्रहायण 11, 1941
No. 439] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 2, 2019/AGRAHAYANA 11, 1941

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2019

सं. एन-12/13/1/2016-यो.एवं वि.—कर्मचारी राज्य बीमा निगम, 1948 (1948 का 34) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के एतद्वारा राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना में निम्नलिखित आशोधनों को अधिसूचित करती है, जो कि क.रा.बी.निगम के दिनांक 06.09.2016 को आयोजित अपनी 169वीं बैठक में किए गए निर्णयानुसार तथा पूर्व में भारत का राजपत्र भाग-III, खंड-4, दिनांक 26.03.2005 में अधिसूचित किया गया जिस योजना में निम्नलिखित आशोधन को अनुमोदन प्रदान किया है :-

क) राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत हितलाभ प्राप्त करने के लिए अंशदान के भुगतान की पात्रता वर्तमान 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष कर दी गई है।

ख) बीमाकृत व्यक्ति/बीमाकृत महिला के पूर्ण बीमा योग्य रोजगार के दौरान बेरोजगारी भत्ते की अवधि वर्तमान 12 माह से बढ़ाकर 24 कर दी गई है।

इस अवधि के दौरान, बीमाकृत व्यक्ति/बीमाकृत महिला निम्नलिखित खंड के अनुसार हितलाभ प्राप्त करेंगे :-

बेरोजगारी अवधि	माह 12 से 0	माह 24 से 13
हितलाभ दर	अंतिम औसत दैनिक मजदूरी का 50%	अंतिम औसत दैनिक मजदूरी का 25%

इस अवधि के दौरान बीमाकृत व्यक्ति/बीमाकृत महिला तथा उनका परिवार चिकित्सा हितलाभ प्राप्त करता रहेगा।

ख) राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत हितलाभ के लिए दावे प्रस्तुत करने हेतु सीमा अवधि वर्तमान 09 माह से बढ़कर 12 माह कर दी गई है।

घ) राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति/बीमाकृत महिला अपना कौशल बढ़ाने के लिए रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन 'उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं' से अल्प अवधि पाठ्यक्रमों में कुछ सप्ताह से 06 माह तक के प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं। निगम ने उपर्युक्त सरकारी प्रत्यायित संस्थाओं से पाठ्यक्रम प्रशिक्षण अवधि 01 वर्ष तक करने का अनुमोदन किया है। केवल सरकारी प्रत्यायित संस्थाओं की अनुपलब्धता की स्थिति में कौशल उन्नयन प्रतिष्ठित निजी संस्थानों में किया जाए।

उपर्युक्त आशोधन क.रा.बी. निगम के निर्णय दिनांक 06.09.2016 से लागू होंगे । राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना में विनिर्दिष्ट अन्य शर्तें वही रहेंगी।

एस. रविचंद्रन, अपर आयुक्त (यो.एवं वि.)

[विज्ञापन-III/4/असा./328/19]

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2019

No. N-12/13/1/2016-P&D.—In exercise of the powers conferred upon it under Section 19 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Employees' State Insurance Corporation, do hereby notify the following modifications in Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojana, which was notified in the Gazette of India Part III, Section 4 dated 26.03.2005 as per decision of ESI Corporation in its 169th meeting held on 06.09.2016 which has approved the following modification in the scheme :—

a) The eligibility requirement of payment of contribution has been reduced from existing 3 years to 2 years for availing benefits under RGSKY.

b) The duration of unemployment allowance has been increased from existing 12 months to 24 months during the entire insurable employment of the IP/IW.

During this period, the IP/IW would get the benefit as per the following slab:

Unemployment Period	0 to 12 Months	13 to 24 Months
Benefit Rate	50% of the last average daily wages	25% of the last average daily wages

The IP/IW and his/her family would continue to get medical benefit during this period.

c) The limitation period for submission of claims for benefits under the RGSKY has been increased from existing 09 months to 12 months.

d) Under this scheme RGSKY, the IP/IW can undergo short duration courses of a few weeks upto 06 months to upgrade his/her skill from the "Advanced Vocational Training institutions" under the DGET, MoL&E, Government of India. The Corporation has approved that the duration of the training courses may be upto 01 year from the above Government accredited Institutions. Only in case of non-availability of Government accredited Institutions, the skill up-gradation may be resorted to in reputed Private Institutions.

The above modifications has been made effective w.e.f. 06.09.2016 i.e. the date of decision by the Corporation. Other conditions as specified in the RGSKY will remain the same.

S. RAVICHANDRAN, Addl. Commissioner (P&D)

[ADVT.-III/4/Exty./328/19]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.12.03 20:02:08 +05'30'